पत्र संख्या-स्था-1/वाणिज्य कर-2013-14/// 3832 ///वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
दिनॉक :: लखनऊ 27, नवम्बर, 2013

समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1/2, वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर / डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेण्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के पत्र संख्या-स्था-1/वाणिज्य कर-2013-14///3727///वाणिज्य कर, दिनॉक 06-11-2013 द्वार निर्देश दिये गये थे कि समस्त अधिकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध वर्किंग लिस्ट में यथास्थान अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। अवलोकन पर यह पाया गया कि अभी तक अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही नही की गयी है।

अधिकारियों का व्यक्तिगत विवरण जैसे ; गृह जनपद, जन्मतिथि तथा पोस्टिंग इत्यादि का विवरण भी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसके सम्बन्ध में पूर्व में इन प्रविष्टियों में त्रुटियों के निवारण हेतु निर्देश जारी किये गये थे। पुन: इस सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश जारी किये जा रहे हैं :-

1- वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट comtax.up.nic.in में Departmental services option के अन्तर्गत Employee Information system पर click किया जायेगा।

2- E.I.S के Login पेज पर user ID के रुप में 6 अंकों की Employee ID तथा password के रुप में date of birth (dd/mm/yyyy) फार्मेट में अंकित की जायेगी।

3- Login करने पर अधिकारियों का व्यक्तिगत विवरण, पोस्टिंग का विवरण तथा Annual Entries का विवरण उपलब्ध हो जायेगा।

4- स्क्रीन में बायी ओर Upload Photo पर click करके अधिकारी अपनी फोटो .jpg फार्मेट में upload कर सकते हैं।

5- यदि किसी अधिकारी का विवरण, पोस्टिंग का विवरण गलत प्रदर्शित हो रहा है, तो स्क्रीन के बॉयी ओर उपलब्ध update your record पर click किया जायेगा।

6- इस option में अधिकारियों को अपनी गलत entries को edit करने अथवा delete करने का option उपलब्ध होगा। updation के पश्चात् updated विवरण का प्रिण्ट आउट निकालकर तथा हस्ताक्षर करके मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

इस प्रकार उपर्युक्तानुसार सभी अधिकारी अपने व्यक्तिगत विवरण के सम्बन्ध में कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त पत्रॉक-3727, दिनॉक 06-11-2013 द्वारा वर्किंग लिस्ट में यथा वॉछित फोटो अपलोड करने की कार्यवाही दिनॉक 15-12-2013 तक करना सुनिश्चित करेंगे।

यदि किसी अधिकारी के व्यक्तिगत विवरण में इसके उपरान्त कोई त्रुटि रह जायेगी तो इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी को उत्तरदायी माना जायेगा।

उपर्युक्त निर्देशों का कडाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

(सेल्वा कुमारी जे0)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

श्री जोशी
वेबसाइट पर डालें
27/11/13

प्रतिलिपि
JCIT को प्रेषित